



चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : पी०ए०/३५७७

दिनांक : 19.04.2021

सेवा में,

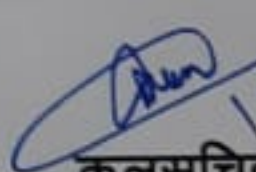
प्राचार्य / प्राचार्या / सचिव / निदेशक,
समस्त नर्सिंग महाविद्यालय,
सम्बद्ध चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

महोदय / महोदया,

अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के द्वारा पूर्व में निर्गत आदेश पत्रांक पी०ए०/३५६५ दिनांक 16.04.2021, जिसके द्वारा समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को न बुलाये जाने के लिए निर्देशित किया गया था, नर्सिंग पाठ्यक्रमों को संचालित करने वाले महाविद्यालयों पर लागू नहीं होगा।

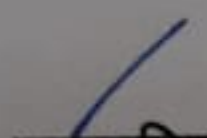
उक्त के क्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि कोविड-19 के प्रदेश में बढ़ते हुए संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णय तथा माननीय कुलपति जी के निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है कि अपने-अपने महाविद्यालय/संस्थानों में अध्ययनरत जी०एन०एस०/पोस्ट बेसिक बी०एस-सी० नर्सिंग/बी०एस-सी० नर्सिंग/एम०एस-सी० नर्सिंग पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष के छात्र/छात्राओं को तत्काल बुलायें तथा आवश्यक प्रशिक्षण कराकर उन्हें अन्य स्टाफ, जैसे नर्सेज/पैरामेडिकल स्टाफ, की तरह तैयार करें, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनकी सेवायें कोविड-19 वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए शासन के प्रयासों के द्वारा स्थापित चिकित्सा केन्द्रों पर ली जा सकें।

भवीदय,


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सचिव कुलपति को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. संकायाध्यक्ष चिकित्सा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाईट।


कुलसचिव